रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 1990/अग्रहायण 19, 1912
No. 314] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 1990/AGRAHAYANA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 103–आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1990

विषय :— आयात और निर्यात नीति, 1990-93 (खण्ड-1)।

फा. सं. 6/1/90-ईपीसी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1 आई टी सी (पीएन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	61	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति उप पैरा 197(1) चौथी पंक्ति	मौजूदा उप पैरा 197 (1), चौथी पंक्ति में "पूंजीगत माल" शब्दों को संशोधित करके "नए पूंजीगत माल" किया जाएगा।

1	2	3	4
(2)	61	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति उप पैरा 1997(2)।	मौजूदा उप पैरा 197 (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "(2) उपर्युक्त सुविधा उन पंजीकृत निर्यातकों को उपलब्ध होगी जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि में नियमित रूप से निर्यात कर रहे है। आवेदक को आयात के लिए अनुमित पूंजीगत माल के मूल्य तीन गुना के बराबर निर्यात आभार का वचन देना होगा और इस दायित्व को पूंजीगत माल के आयात की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होगा । यह निर्यात दायित्व आवेदक द्वारा अन्यत्र से लिए गए अन्य दायित्वों से मुक्त होगा और उसके द्वारा या तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में से सर्वोत्तम वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के वार्षिक औसत मूल्य अथवा उसके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यातों के वार्षिक औसत मूल्य इनमें जो भी अधिक हो, के अतिरिक्त होगा, केवल आयात के लिए अनुमित पूंजीगत माल के माध्यम से विनिर्मित उत्पादों के सीधे निर्यातों को ही निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा । इस योजना के अन्तर्गत तीसरी पार्टी द्वारा किए गए निर्यात को स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसके अलावा इस योजना के अन्तर्गत माने गए निर्यात न तो आवेदक की पात्रता के लिए और न ही निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए हिसाब में लिए जाएंगे।"
(3)	61	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीती उप पैरा 197 (3) और (4)	मौजूदा उप पैरा (3) और (4) हटा दिए जाएंगे।
(4)	61	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति उप पैरा 197 (5क)	मौजूदा उप पैरा 197 (5क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा- "(5 क) योजना के अन्तर्गत (1) लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान द्वितीय अथवा इसके बाद में दाखिल किए गए आवेदन अथवा (2) लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनों पर भी गुणदोष के आधार पर ऐसी शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो" ।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के अन्तर्गत यथा-संशोधित प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	प्रक्रिया पुस्तक 1990-93 (खण्ड-1) का पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
(1)	65	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातक उप पैरा 314 (क) 2(12)	मौजूदा उप पैरा 314(क) 2(12) को हटा दिया जाएगा ।
(2)	65	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातक उप पैरा 314(क) 3	मौजूदा उप पैरा 314 (क) 3 को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाएगा :— "आवेदक पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात और/अथवा सरकार" की अध्यक्षता में अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि समिति सरकार अनुमोदन करेगी तो पूंजीगत मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में पूंजीगत माल प्रभाग द्वारा ऐसी अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने पर जो लाइसेंस जारी किया जाएगा" जो समिति सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों ।
(3)	65	अध्याय-15 पंजीकृत निर्यातक उप पैरा 314(क) 4	मौजूदा उप पैरा 314(क) 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "(4) सीमाशुल्क के माध्यम से माल की निकासी कराने से पूर्व आयातक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में निर्यात आभार सैल के साथ निर्यात आभारों को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बन्धपत्र निष्पादित करना होगा । यदि बंध-पत्र संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के साथ निष्पादित किया गया हो तो वह स्वीकृति के बाद मूल दस्तावेजों को निर्यात दायित्व कक्ष, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को हस्तान्तरित कर देंगे जहां निर्यातक दायित्व को पूरा करने में हुई प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा । निर्यात दायित्व आयात किए गए पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के निगने के बराबर होगा यह निर्यात दायित्व आवेदक द्वारा पृथक रूप से अपनाए गए किसी अन्य दायित्व से मुक्त होगा तथा यह या तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में विगत दो वर्षों के दौरान उसके द्वारा किए गए निर्यातों के औसतन वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त या पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान उसके द्वारा किए गए निर्यातों का औसत वार्षिक मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, होगा । बैंक गारंटी की धनराशि इस

(1)	(2)	(3)	(4)
			योजना के अन्तर्गत संचित किए गए शुल्कों के कुल मूल्य के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त पंजीगत माल के निपटारे के समय आयातक के लिए ऐसी जानकारी/घोषणा प्रस्तुत करना ही जरूरी होगा जो कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित हों।"
4.	65	अध्याय 15 पंजीकृत निर्यातक उप-पैरा 314(क) 5(2)	वर्तमान उप-पैरा 314 (क) 5(2) को हटा दिया जाएगा ।
5.	554	परिशिष्ट-15-ड	(क) विद्यमान क्रम सं. 6क को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "6क. पहले से ही आयातित पूंजीगत माल/निर्यात दायित्व सहित पूंजीगत माल के हस्तगत लाइसेंस/खुले सामान्य लाइसेंस अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व की शर्त पर आयात किए जा रहे पूंजीगत माल/आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र/विदेशी सहयोग करार इत्यादि पर लागू होने वाले निर्यात दायित्व तथा उसकी अद्यतन स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करें । (ख) विद्यमान क्रम सं. 13 (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— (क) (i) आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का विस्तृत विवरण जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी जाए (1) क्षमताओं सहित पूर्ण विशिष्टताएं (2) स्पेयर्स और सहायक उपकरण (3) (क) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा (ख) लागत बीमा भाड़ा मूल्य का स्पष्टतौ में उल्लेख करते हुए विदेशी मुद्रा में मूल्य का दुबारा ब्यौरा (कृपया मुख्य सैट के साथ इस सूचना की छः प्रतियां और बाकी दस सैटों की एक-एक प्रति भी संलग्न करें । विवरण तथा मूल्य सहित पूर्वेक्षित ब्यौरे बीजक प्रपत्र में निर्दिष्ट विवरण तथा मूल्य के समान होने चाहिए) (2) उत्थापन, संचालन, प्रतिष्ठापन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण प्रभार, जानकारी तथा तकनीकी शुल्क, यदि कोई हो । (3) भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, यदि हां तो क्या भुगतान भारतीय रुपये में किया जाएगा ? (4) विदेशी अभिकर्ता का प्रभार, यदि कोई हो ।

1	2	3	4
			(ग) विद्यमान क्रम सं. 10 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "15 ए. इस स्कीम के अन्तर्गत क्या यह पहला या बाद का आवेदन है। यदि यह पहला आवेदन नहीं है तो स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये सभी आवेदनों में आवेदन का मूल्य और निर्धारित किए गए निर्यात दायित्व के मूल्य सहित सभी ब्यौरे दें। कृपया लाइसेंस संख्या और फाइल संख्या यदि कोई हो तो, वह भी लिखें।
			(घ) मौजूदा क्रम सं. 17(घ) (ख) में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :— "(ख) पिछले तीन लाइसेंस वर्षों में दो सर्वोत्तम वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात मूल्य या पिछले तीन लाइसेंस वर्षों के दौरान वार्षिक औसत निर्यात मूल्य, जो भी ज्यादा हो, पर आधारित निर्यात मूल्य बतायें।
			(ङ) मौजूदा क्रम सं. 18 को निकाल दिया जाएगा।
			(च) मौजूदा क्रम सं. 19 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :— "19. निदेशक, पार्टनर, प्रोपराइटर या कर्त्ता, जैसी भी स्थिति हो, का नाम और पता।"
			(छ) मौजूदा घोषणा/वचन-पत्र स. (1) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(1क) मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त बताये गये निर्यात का मूल्य केवल हमारे वास्तविक प्रत्यक्ष निर्यात को दर्शाता है, इस मूल्य में माना गया निर्यात या तृतीय पक्ष निर्यात मूल्य शामिल नहीं है।"
			(ज) मौजूदा घोषणा/वचन पत्र सं. (3) में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :— "(3) मैं/हम एतद्द्वारा आयातित मशीनरी के लागत बीमा मूल्य के तीन गुणा तक सीमाशुल्क की रियायती दर के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल में से निर्मित माल को निर्यात करने का वचन देता हूं/देते हैं। यह पिछले तीन लाइसेंस वर्षों में से सर्वोत्तम दो वर्षों के दौरान मेरे/हमारे द्वारा किए गए वार्षिक औसत निर्यात मूल्य या पिछले तीन लाइसेंस वर्षों के दौरान मेरे/हमारे द्वारा किए गए वार्षिक औसत निर्यात मूल्य जो भी ज्यादा हो, के अतिरिक्त होगा।"

1	2	3	4
			(झ) मौजूदा घोषणा/वचन पत्र सं. (3) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "(3क) मैं/हम एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा मेरे/हमारे ऊपर आगे कोई भी लगाये गए निर्यात दायित्व और/या शर्तों को पूरा करने का वचन देते हैं/देता हूं।"

4. उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 103 ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 10th December, 1990

Subject : Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I).

File No. 6/1/90-EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I),published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/90—93 dated the 30th March, 1990 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of the Import & Export Policy, 1990—93 (Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	61	Chapter-XV Import Policy for Registered Exporters Sub-para 197(1) Fourth Line	In the existing sub-para 197(1), fourth line, the words "Capital Goods" shall be amended as "new Capital Goods".
(2)	61	Chapter—XV Import Policy for Registered Exporters Sub-para 197(2)	The existing sub-para 197(2) shall be amended as under :— "(2) The above facility will be available to registered manufacturer-exporters, who have been regularly exporting for a period of not less than three years. The applicant will have to undertake an export obligation equivalent to three times the value of the Capital Goods permitted for Import and the obligation will have to be fulfilled within a period of four years from the date of

(1)	(2)	(3)	(4)
			import of the Capital Goods. This export obligation will be independent of any other obligations undertaken by the applicant separately and will be either over and above the annual average value of exports made by him during the best two years in the preceding three licensing years or the annual average value of exports made by him during the preceding three years; whichever is higher. Only direct exports of the products manufactured through the Capital Goods permitted for import shall be counted for fulfilment of the obligation. Third party exports will not be accepted under this scheme Further, 'Deemed Exports' shall not be counted either for eligibility of the applicant or towards fulfilment of the export obligation under the scheme".
(3)	6	Chapter—XV Import Policy for Registered Exporters Sub-para 197(3) & (4)	The existing sub-paras (3) and (4) shall be deleted.
(4)	61	Chapter—XV Import Policy for Registered Exporters Sub-para 197(5A)	The existing sub-para 197(5A) shall be amended as under :— "(5A). Under the scheme, (i) the second subsequent applications filed within a licensing year, or (ii) applications for import of capital goods for a value exceeding Rs. 10 crores during the licensing year, may also be considered, on merits, subject to fuch conditions as may be prescribed by the Government".

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures, 1990—93 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/90—93 dated 30th March, 1990 as amended. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Hand book of Procedures, 1990—93 (Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	65	Chapter—XV Registered Exporters Sub-para 314(A)2(xii)	The existing sub-para 314(A)2(xii) shall be deleted.

1	2	3	4
(2)	65	Chapter—XV Registered Exporters Sub-para 314(A)3	The existing sub-para 314(A) 3 shall be amended as under :— "3. The applications will be considered by an Inter-Ministerial Committee headed by the Chief Controller of Imports & Exports, and/or the Government. If the Committee/Government approves, the licence will be issued by the C.G. Division in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi subject to such additional conditions, as may be prescribed by the Committee/Government".
(3)	65	Chapter—XV Registered Exporters Sub-para 314(A)4	The existing sub-para 314(A) 4 shall be amended as under :— "4. Before clearance of goods through Customs, the importer shall execute an Indemnity-cum-Surety bond for fulfilment of the export obligations with the licensing authority concerned or the Export Obligation Cell (E.O.Cell) in the office of the Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhawan, New Delhi. If the bond is executed with the licensing authority concerned, they will transfer the original documents, after acceptance, to the Export Obligation Cell, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhawan, New Delhi, who will monitor the progress made towards fulfilment of export obligation. The export obligation shall be equivalent to three times the c.i.f. value of the Capital Goods imported. This export obligation will be independent of any other obligations undertaken by the applicant separately and shall be either over and above the annual average value of exports made by him during the best two years in the preceding three licensing years or the annual average value of exports made by him during the preceeding three licensing years, whichever is higher. The amount of bank guarantee shall be equivalent to the full value of the duties saved under this scheme. In addition, the importer at the time of clearance of the Capital Goods shall also be required to furnish such information/declaration as may be required by the customs authorities".

(1)	(2)	(3)	(4)
(4)	65	Chapter—XV Registered Exporters Sub-para 314(A)5(ii)	The existing sub-para 314(A)5(ii) shall be deleted.
(5)	254	Appendix XV—M	(A) The existing Sl. No. 6A shall be amended as under :— "6A. Furnish details of Capital goods already imported/C.G. licence in hand with export obligation/C.G. being imported with export obligation under OGL or any other scheme/export obligation imposed on Letter of Intent/ Industrial licence/Registration certificate/ foreign collaboration agreement etc. and its status up-to date." (B) The existing Sl. No. 13(a) shall be amended as under : – "(a)(i) Detailed description of capital goods sought to be imported indicating (i) full specifications including capacities (ii) spares and accessories, (iii) itemwise break-up in value in foreign currency clearly indicating (a) f.o.b. value and (b) c.i.f. value. (Please also attach six copies of this information with the main set and one copy each with the remaining ten sets. The aforesaid details including description and value should tally with the description and value indicted in the proforma invoice.) (ii) Erection, commissioning, installation, supervision, training charges, know-how and technical fee; if any. (iii) Indian Agent's commission, if any. If so, whether the payment is in Indian Rupees. (iv) Foreign Agent's charges, if any." (C) After the existing Sl. No. 15, the following shall be added :— "15A. Whether it is the first or the subsequent application under the scheme. In case it is not the first application, furnish full particulars of all the applications made under this scheme including the value of the application and the value of export obligation

1	2	3	4

fixed. Please also indicate the licence No. and the file No., if any".

(D) The existing Sl. No. 17(D)(b) shall be amended as under :—

"(b) Indicate the value of exports based upon either the annual average value of exports during the best two years in the preceding three licensing years or annual average value of exports during the preceding three licensing years, whichever is higher :—"

(E) The existing Sl. No. 18 shall be deleted.

(F) The existing S. No. 19 shall be amended as under :—

"19. Name and address of Directors, Partners, Proprietor or Karta, as the case may be."

(G) After the existing declaration/undertaking No. (i), the following shall be added :—

"(a) I/We hereby declare that the value of exports indicated above reflects our direct physical exports only; such value does not include the deemed exports or the third party exports".

(H) The existing Declaration/Undertaking No. (iii) shall be amended as under :—

"(iii) I/We hereby undertake to export the goods manufactured out of the capital goods imported under the scheme of Import of Capital Goods under concessional rate of customs duty upto three times the c.i.f. value of the imported machinery; this will be either over and above the annual average value of exports made by me/us during the best two years in the preceding three licensing years or the annual average value of exports made by us/me during the preceding three licensing years, whichever is higher".

(1)	(2)	(3)	(4)
			(I) After the existing declaration/undertaking No. (iii), the following shall be added :— "(iiia). I/We hereby further undertake to fulfil any further export obligation and/or conditions, which may be imposed by the Government on me/us."

4. The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990